उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

प्रकीर्ण फौजदारी आवेदन संख्या 272/2018
(अंतर्गत धारा 482 द0प्र0सं0)

सुभान अली .... आवेदक।

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य .... उत्तरदतागण।

अधिवक्ताः– श्री डी0सी0एस0 रावत, आवेदक के अधिवक्ता।
श्री टी0सी0 अग्रवाल, उपमहाधिवक्ता,
श्रीमती लता नेगी, ब्रीफ धारक, उत्तराखण्ड राज्य की ओर से।
श्री पी0 सी0 पेटशाली, शिकयकर्ता के अधिवक्ता।

मान्नीय शरद कुमार शर्मा, जे0

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्को के प्रकाश में एक बहुत ही विचित्र एवं विशिष्ट परिस्थिति विचार के लिये सामने आयी कि आवेदक के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 3954/2017, राज्य बनाम सुभान अली के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 376ए भा0द0सं0 में लिया गया संज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं बनता है और पूरी विवेचना आरम्भ से ही दूषित है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि धारा 376ए के प्रावधान को 2013 के अधिनियम संख्या 13 की धारा 9 द्वारा 03 फरवरी 2013 से प्रतिस्थापित किया गया था। धारा 376ए को प्रतिस्थापित किये जाने के प्रभाव के रूप में केवल उन मामलों में ही आकर्षित हो सकते हैं, जहां धारा 376(2) के अपराध के कारण एक महिला की मृत्यु या जड़ता की अवस्था में होने का कारण बनता है। धारा 376ए के अंतर्गत **''महिला''** शब्द एक सामान्य शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार निम्न होगा–

> **''महिला''** एक व्यस्क मानव महिला, एक महिला कार्यकर्ता या कर्मचारी एक छोटी महिला जो पत्नी के संदर्भ में कृपालू है। इसका अर्थ एक विद्वान महिला, गलियों की लेखक महिला। ''महिला'' शब्द का अर्थ एक ऐसे समूह से संबंधित होगा, जो सामाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निर्दिष्ट लिंग होगा।

3. जबकि शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत एक व्यक्ति से विधिक रूप से विवाहित पत्नी होगा। समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त महिला जो प्रजनन के जैविक कार्य में कानूनी रूप से बच्चे को जन्म देने की हकदार है। इस प्रकार शब्दकोश में ''**पत्नी**'' की परिभाषा इस प्रकार है–

> ''**पत्नी**'' का अर्थ है एक विवाहित महिला, जिसे उसके पति के संबंध में माना जाता है। यह शब्द एक महिला के लिये विशिष्ट सम्प्रदाय होगा, जो एक पुरूष के साथ रिश्ते में स्थाई रूप से जुड़ा एक सामाजिक बन्धन है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में आवेदक के खिलाफ धारा 376ए के तहत अपराध नहीं बनता है क्योंकि विधायिका ने ''महिला'' शब्द का प्रयोग किया है और यहां महिला को पत्नी के रूप में पढ़ने के लिये प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।

5. उक्त मामले में शिकायकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 आवेदक की विवाहित पत्नी थी। उनके बीच एक वैध तलाक था और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों के अनुसार शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 ने तर्क दिया है कि पुर्नविवाह के आश्वासन के तहत पूर्व पति अर्थात आवेदक ने उसकी सहमति के बिना यौन सम्भोग का अपराध किया और उस स्थिति में धारा 376ए भा0द0सं0 के अंतर्गत दण्डित होने योग्य है, जिसके लिये थाना चौकी बसफोदान, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 294/2017 दर्ज की गयी।

6. उक्त मामले में दर्ज एफ0आई0आर0 के तथ्य विचार के लिये सुसंगत होंगे क्योंकि यह शादी के तथ्य, अपराध के तथ्य और पति और पत्नी के रिश्तों को समाप्त करने के तथ्य को स्पष्ट करते हैं।

> ''**1–** यह कि प्रार्थिनी की शादी अब से 6 साल पूर्व सुभान पुत्र कलुवा उर्फ एहसान, निवासी मौ0 अील्ल खां थाना काशीपुर के साथ हुई थी और सुभान की बहबेत प्रार्थिनी के दो जुड़वा पुत्रियां अनम व महक उम्र 3 साल भी पैदा हुई लेकिन प्रार्थिनी ने सुभान व उसके परिवार वालों के क्रूर व्यवहार की वजह से प्रार्थिनी ने अब से 6 माह पूर्व सुभान से तलाक ले लिया था और प्रार्थिनी अपने मायके नरपतनगर में रह रही थी लेकिन उक्त सुभान प्रार्थिनी को बरगला कर काशीपुर लिवा लाया और कहने लगा मुझ से फिर शादी करूंगा और बच्चों को पालूंगा और किराया भी दूंगा और प्रार्थिनी को मो0 मालिक कालोनी, थाना काशीपुर में अब से

डेढ़ माह पूर्व लिवा लिया और प्रार्थिनी अपनी पुत्री महक के साथ मौ0 खालि कालोनी में रह रही थी'।

2– यह कि वाक्या दिनांक 23.4.17 की रात्रि करीब 1:00 बजे की है। मुल्जिमान नं0 01 सुभान अपने साथ मुल्जिम नं0 02 अफतर अली मुल्जिम नं0 03 आसिफ, मुल्जिम नं0 04 नासिर एवं मुल्जिम नं0 05 तथा 7–8 अन्य आदमी और थे, जिनके नाम व पते प्रार्थिनी नहीं जानती है। सामने आने पर पहचान लेगी लेकर आया और जबरदस्ती दरवाजा खुलवाकर जबरदस्ती प्रार्थिनी कमरे के अंदर घुस आये और अंदर घुसते ही अफसर अली ने प्रार्थिनी का गला पकड़ लिया और प्रार्थिनी फर्श पर गिरा दिया। प्रार्थिनी के फर्श पर गिरते बब्बू प्रार्थिनी टांग पकड़ कर फेला दी और मुल्जिम 4 नासिर प्रार्थिनी के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया उसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने प्रार्थिनी के साथ बुरा काम किया जिसका नाम प्रार्थिनी नहीं जानती है। सामने आने पर पहचान लेगी। उसके बाद प्रार्थिनी बेहोश हो गयी। उसके बाद किस–किस व्यक्ति ने प्रार्थिनी के साथ बलात्कार किया, इसका पता नहीं चला। बगल के कमरे में प्रार्थिनी की बहन नहा, उम्र 12 साल सो रही थी। शोर शराबा होने पर उसकी आंख खुल गयी और उसने शोर मचा दिया जिस पर उक्त सभी मुल्जिम धमकी देकर भाग गये कि इस घटना के बारे में किसी को भी बताया तो सभी को जान से खत्म कर देंगे। प्रार्थिनी को होश आने पर प्रार्थिनी ने पुलिस के 100 नम्बर पर फोन किया। पुलिस रात में ही आई लेकिन मुल्जिम मौके से भाग चुके थे। उक्त मुल्जिम ने प्रार्थिनी के पूरे शरीर को दांतो आदि से काटा। प्रार्थिनी का पूरा शरीर घायल हो गया, जिसके फोटोग्राफ संलग्न प्रार्थनापत्र

3– सुबह होने पर प्रार्थिनी उक्त बाकी रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाना काशीपुर में गयी लेकिन प्रार्थिनी की रिपोर्ट की गयी और उल्ट प्रार्थिनी डांट भगा दिया तब प्रार्थिनी एक रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर रजिस्ट्री भेजी लेकिन उसके बाद अभी तक प्रार्थिनी की रिपोर्ट नहीं है। डाक रसीद व रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न प्रार्थनापत्र है।

4– यह कि रिपोर्ट दर्ज न होने मुल्जिम प्रार्थिनी जान से मारने की फिराक से घूम रहे और प्रार्थिनी को मुल्जिम से अपनी जान का खतरा बना है। मजबूरन प्रार्थिनी न्यायालय शरण में आना पड़ रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना कि प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज करने हेतु श्रीमान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर को आदेश दिये जाने की कृपा करें। दिनांक 27417 प्रार्थिनी अ0 रूकसान पुत्री मंसूरखां निवासी मो0 खालिक कालोनी, थाना काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।

7. अन्वेषण अधिकारी द्वारा एफ0आई0आर0 नं0 294/2017 के संबंध में अन्वेषण किया गया और दिनांक 10 अगस्त 2017 को आरोपपत्र संख्या 336/2017 प्रस्तुत किया गया, जिसमें लगभग दस गवाहों को परीक्षित किया गया और अन्ततः आवेदक के विरूद्ध धारा 376ए, 376(2)च, 452,323,506 भा0द0सं0 के अपराध के अंतर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

8. अन्वेषण समाप्त होने के उपरान्त अन्वेषण अधिकारी द्वारा 10 अगस्त 2017 के आरोपपत्र में आवेदक के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया तथा जहां तक अन्य सहआरोपी व्यक्तियों, जिनकी शिकायत की गयी थी, उन्हें अपराध कारित किये जाने में शामिल नहीं दिखाया गया।

9. आरोपपत्र दाखिल किये जाने पर आवेदक के विरूद्ध धारा 376ए भा0द0सं0 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया। इस न्यायालय का विचार है कि दण्डात्मक आपराधिक कानून का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिये क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रत्येक अपराध का एक अलग आशय और सामाजिक उद्देश्य होता है।

10. भा0द0सं0 की धारा 376ए को प्रतिस्थापित संशोधन के साथ, भा0द0सं0 की धारा 376(2) के अंतर्गत एक महिला के साथ अपराध के संबंध में यह न्यायालय इस मत का है कि जब विधायिका ने धारा 376ए के लिये विशिष्ट रूप से ''महिला'' शब्द का प्रयोग किया है और पत्नी के प्रति किये गये अपराध के लिये धारा 376बी को जोड़ा गया है, जिससे स्वतः तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि धारा 376बी के अंतर्गत पत्नी के प्रति किये गये अपराध को धारा 376ए से अलग पढ़ा जायेगा। इस प्रकार धारा 376ए के अंतर्गत दाखिल किया गया आरोपपत्र कानून की दृष्टि में सही नहीं है अन्यथा विधायिका को धारा 376बी भा0द0सं0 को प्रतिस्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसके अनुसार–

> **376बी– पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन–** जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो चाहे पृथककरण की किसी डिक्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही हो, उसकी सहमति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

11. धारा 376बी में निहित प्रावधानों में विशिष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी के साथ सम्भोग करता है, शब्द **''पत्नी''** के पहले विराम चिन्ह् **''अल्प विराम''** लगाया गया है और यदि यह वाक्य पूरी तरह पढ़ा जाता है। ''जो कोई'' शब्द निश्चित रूप से पति को निरूपित करेगा क्योंकि यह पत्नी शब्द से पहले और विराम चिन्ह् के उपयोग से योग्य है।

12. किसी अपराध को धारा 376बी के अंतर्गत लाने के लिये एक अन्य तत्व भी आवश्यक है कि 'पत्नी अलग रह रही हो', चाहे पृथककरण की डिक्री द्वारा या अन्यथा। 'अन्यथा' शब्द से वर्तमान मामले का तथ्यात्मक उदाहरण शामिल होगा, जहां एफ0आई0आर0 के अनुसार उक्त मामले में पहले से ही तलाक की डिक्री थी और पूर्व पति द्वारा शिकायतकर्ता से पुर्नविवाह के झूठे आश्वासन के तहत यौन सम्बन्ध बनाये गये थे।

13. उस स्थिति में इस न्यायालय का विचार है कि धारा 375 के स्पष्टीकरण 2 में यौन सम्भोग का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है–

> **स्पष्टीकरण 2–** सम्मति से ऐसा स्पष्ट स्वैच्छिक करार सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, भावभंगिमाओं या मौखिक या गैर–मौखिक संसूचना के किसी भी रूप द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी करने की रजामन्दी संसूचित करती है।
>
> परन्तु यह कि वह स्त्री, जो शारीरिक रूप से प्रवेशन के कार्य का प्रतिरोध नहीं करती, केवल उसी तथ्य के कारण यौन क्रिया–कलाप में सम्मति देने वाली नहीं मानी जायेगी।
>
> **अपवाद 1–** चिकित्सा प्रक्रिया या अन्तः प्रवेशन बलात्संग गठित नहीं करेगा।
>
> **अपवाद 2–** पुरूष का अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन या यौन क्रिया बलात्संग नहीं है, जब पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।

14. यद्यपि यह धारा 376बी के अंतर्गत आता है। दी गयी परिस्थितियों में पत्नी के साथ यौन सम्भोग करना धारा 376ए के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिस्थापित प्रावधानों में नहीं पढ़ा जायेगा, जिसके लिये शिकायतकर्ता के पूर्व पति अर्थात आवेदक को आरोपित किया गया है।

15. इस विचार को रखने का एक विचार और है कि विधायिका ने धारा 376ए और 376बी के अंतर्गत अलग–अलग दण्ड का प्रावधान किया है और उचित भी है क्योंकि धारा 376ए 'महिला' से संबंधित है। जबकि धारा 376(2) के अंतर्गत अपराध में

जिसके परिणामस्वरूप महिला की मृत्यु हो जाती है या महिला लगातार जड़ता की अवस्था में पहुंच जाती है, जिसके लिये बीस साल तक की सजा का प्रावधान है, जो कि आजीवन कारावास तक के लिये बढ़ाया जा सकता है जबकि धारा 376बी के अंतर्गत 07 साल तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। ऐसा धारा 376ए एवं 376बी के अंतर्गत अपराध के विशिष्ट सामाजिक प्रभाव के कारण है।

16. न्यायालय द्वारा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि धारा 376बी के अंतर्गत सजा जबकि या उसकी पत्नी के साथ और पृथककरण या अन्यथा भी उसकी सहमति के बिना यौन सम्भोग किया हो। उक्त मामले में सजा 02 साल से कम नहीं होगी जिसको सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 376बी भा0द0सं0 के विशिष्ट व्यक्तिगत प्रभाव के कारण अभियुक्त जिस पर 376बी के अपराध का अभियोग लगाया गया है, उस पर सजा की गम्भीरता को सही प्रकार से कम करके लगाया जा सकता है, जो धारा 376बी भा0द0सं0 के तहत अपराध करने में लगा हुआ है क्योंकि इसका पूरी तरह से अलग और विशिष्ट व्यक्तिगत प्रभाव हैं।

17. इस न्यायालय के समक्ष विद्वान सरकारी अधिवक्ता एवं शिकायकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबी हलफनामा सहित जो अभिलेख रखे गये हैं, किसी के द्वारा भी आवेदक के अभिवचनों का जवाब नहीं दिया गया कि क्या धारा 376ए भा0द0सं0 के तहत सभी अपराधों को किस प्रकार वर्तमान वाद के तथ्यों, एफ0आई0आर0 के तथ्यों, 156(3) द0प्र0सं0 के तहत शिकायत के तथ्यों एवं आरोपपत्र, जिसके द्वारा संज्ञान लिया गया है से अलग किया जा सकता है। यह एक तलाकशुदा पत्नी के विरूद्ध अपमानजनक कार्य से संबंधित है।

18. इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि यह एक ऐसा मामला है, जो 376बी भा0द0सं0 के अंतर्गत एक अपराध माना जायेगा, क्योंकि एक पूर्व पत्नी एवं पूर्व पति के सम्बन्ध स्वीकृत होने के कारण धारा 376ए के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया आरोपपत्र धारा 376ए भा0द0सं0 के मूल आशय और वर्तमान मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के उल्लंघन में है। चूंकि दाखिल किया गया आरोपपत्र दोषपूर्ण है। यह स्पष्ट रूप से एक दोषपूर्ण संज्ञान की ओर ले जायेगा, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2017 को आदेश पारित करके लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते समय उसके समक्ष रखी सामग्री की विषय वस्तु पर भी ध्यान नहीं दिया एवं समन आदेश के प्रारूप में साइक्लोस्टाईलड आदेश पारित किया जो मान्नीय न्यायालय द्वारा **पेप्सी फूड लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य, 1998(5)**

एस0सी0सी0 749 में पारित निर्णय के आलोक में उचित नहीं है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि कोई समन आदेश मस्तिष्क का प्रयोग करके कारणों के साथ पारित किया जाना चाहिये। उक्त न्याय निर्णय का पैरा 28 को यहां उद्धत किया गया है।

> ''28. किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त को समन करना एक गम्भीर मामला है। मजिस्टेट द्वारा पारित समन आदेश से उसके मामले के तथ्यों एवं विधि से सम्बन्धित मस्तिष्क प्रयोग झलकना चाहिये। मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत में लगाये गये आरोपों की प्रकृति एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को समन किया जाना चाहिये। अभियुक्त को समन करने से पहले प्रारम्भिक साक्ष्य दर्ज करते समय मजिस्ट्रेट को मूक दर्शक नहीं बनना चाहिये। मजिस्ट्रेट को मामले की सत्यता की जांच के लिये उसके समक्ष आये हुये साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करना तथा शिकायकर्ता एवं उसके साक्षियों से प्रश्न करना, जिससे मामले की सत्यता एवं अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्टया कोई अपराध कारित किया गया है या नहीं का पता चल सके।

19. मस्तिष्क का प्रयोग न करना तब परिलक्षित होता है जब न्यायालय इस बात की जांच करने के लिये भी ध्यान नहीं दिया जाता कि सभी अपराध धारा 376ए या 376बी भ0द0सं0 के अंतर्गत आते हैं। अतः आवेदन संख्या सी–482 स्वीकृत की जाती है। तद्नुसार आरोपपत्र एवं आपराधिक वाद संख्या 3954/2017 राज्य बनाम सुहान अली, अंतर्गत धारा–376ए की कार्यवाही निरस्त की जाती है। उक्त मामला अन्वेषण अधिकारी को पुनः अन्वेषण करने और यदि अन्वेषण के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अपराध किया जाना स्थापित हो, तब नया आरोपपत्र दाखिल करने हेतु वापस किया जाता है।

20. तद्नुसार उपरोक्त सी–482 के अधीन आवेदन की अनुमति दी जायेगी।

(शरद कुमार शर्मा, जे0)
20.09.2022